पत्रांक–जी / निजी सुरक्षा–32 / 2012..... /

बिहार सरकार
गृह विभाग
(विशेष शाखा)

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार
सरकार के विशेष सचिव–सह–नियंत्री प्राधिकारी

सेवा में,

Lt. Col. Sougoto Das (Retd.)
S/o- Lt. Santosh Das
182, AFNOE, Plot-11
Sector-7, Dwarka
New Delhi-110075

स्पीड पोस्ट

पटना, दिनांक–.....,अप्रैल, 2016

विषयः– बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2011 के तहत राज्य में **M/S Trigyaa Securities** नामक निजी सुरक्षा एजेंसी चलाने हेतु आवेदन की **अस्वीकृति** के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि आपके द्वारा बिहार राज्य अन्तर्गत निजी सुरक्षा अभिकरण का कारोबार करने हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदन प्रपत्र–V की जाँच में पता चलता है कि इसकी कंडिका–14 में निजी सुरक्षा गार्ड / सुपरवाईजर के प्रशिक्षण हेतु आपके द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र स्पष्ट नहीं किया गया है। बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियमावली, 2011 के नियम–7(3) के अनुसार निजी सुरक्षा अभिकरण द्वारा अपने निजी सुरक्षा गार्डों / सुपरवाईजरों का प्रशिक्षण दिलाने हेतु सक्षम प्रशिक्षण संस्थान का चयन करना है, जो बिहार राज्य में अवस्थित होना चाहिए।

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–9242, दिनांक–19.08.2015 के माध्यम से आपसे निजी सुरक्षा गार्ड / सुपरवाईजर के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण देने वाले संस्थान के नाम एवं पता की जानकारी मांगी गयी।

सात माह बीत जाने के उपरान्त एवं विभागीय पत्रांक–2463, दिनांक–14.03.2016 के द्वारा स्मारित किये जाने के बावजूद अबतक आपसे वांछित सूचना अप्राप्त है।

अतः अधिनियम की धारा–7(4) में निहित प्रावधान के तहत बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियमावली, 2011 के नियम–7(3) के अनुसार अपने निजी सुरक्षा गार्डों / सुपरवाईजरों का प्रशिक्षण दिलाने हेतु बिहार राज्य में अवस्थित सक्षम प्रशिक्षण संस्थान की अनुपलब्धता के कारण आपका आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

विश्वासभाजन
ह0 / –
सरकार के विशेष सचिव
–सह–नियंत्री प्राधिकारी

ज्ञापांकः–..... **पटना,दिनांक–.....अप्रैल, 2016**

प्रतिलिपिः– वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के विशेष सचिव
–सह–नियंत्री प्राधिकारी

ज्ञापांकः–3854..... **पटना,दिनांक–**22 **अप्रैल, 2016**

प्रतिलिपिः– आई.टी. प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Jitendra 21.04.16
सरकार के विशेष सचिव
–सह–नियंत्री प्राधिकारी

21/4
D/Y/Security Agency/Draft